कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, धनबाद।

पत्रांक ....102........../धनबाद, दिनांक.....16/01/2020..........

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, धनबाद।

सेवा में,

Seceretary
Imperial School of Learning
Bhuli, Dhanbad.

विषय :– **Imperial Schol of Learning, Bhuli, Distt. Dhanabd भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

प्रसंग :– आपका पत्रांक 811/ISL/2020 दिनांक 09.01.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि Imperial Schol of Learning, Bhuli, Distt. Dhanabd भवन की जॉच कनीय अभियंता के द्वारा किया गया, भवन तकनीकी दृष्टिकोण से भू–तल के उपर सुदृढ़ एवं मजबूत है। भवन सुरक्षित एवं उपयोगी है।

अतः भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

विश्वासभाजन

16/1/20

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, धनबाद।

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल
धनबाद

JKSingh
Manager
Imperial School of Learning
Bhuli, Dhanbad

S.K Singh 16/01/2020
Principal
Imperial School of Learning
Bhuii (Dhanbad)

(ii) किसी भी बालक/बालिका को शारीरिक3 दण्ड या मानसिक दण्ड नहीं दिया जायेगा

(iii) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक/बालिका से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक/बालिका को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा,

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा,

(vi) अध्यापको कि भर्ती अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्युनतम अहर्ताओं के अनुरूप किया जायेगा, तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहर्ता अधिनियम,2009 के लागू होने के समय नहीं है, पॉच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्तायें अर्जित कर लेंगें।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करें। और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन की किया–कलापों में नियोजित नहीं करेंगें।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधार पर पाठयकम का पालन करेंगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा।

10. विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधायें नियमानुसार है:–

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल,

(ii) कूल निर्मित क्षेत्र,

(iii) क्रीडा–स्थल का क्षेत्रफल,

(iv) कक्षाओं की संख्या,

(v) प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–भण्डागार के लिए कक्ष,

(vi) बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय,

(vii) पेयजल सुविधा,

(viii) बाधारहित पहुॅच,

(ix) अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेल–कूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

11. विद्यालय के परिसर के भितर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

576
03/03/2021

12 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं का क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जायेगा।

13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगंम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा सम परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो समय–समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशो का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधि शर्तो का शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाय।

16. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो तो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 22/2021 है। कृप्या इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाय।

3/3/21

जिला शिक्षा अधीक्षक
धनबाद

ज्ञापांक 576 /धनबाद, दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपिः– संबंधित क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/3/21

जिला शिक्षा अधीक्षक
धनबाद

ज्ञापांक 576 /धनबाद, दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपिः–उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,जिला प्रारम्भिक शिक्षा समिति,धनबाद एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा,स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,झारखण्ड,राँची की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

3/3/21

जिला शिक्षा अधीक्षक
धनबाद